न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13 / 2012 नामान्तरकरण अपील

1. छोटी बेवा छोट्या जाति मीना निवासी कुशलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल पुत्र छोट्या
2. सुनीता बेवा रामावतार

जाति मीना निवासी कुशलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 40 वाकै ग्राम कुशलपुरा प.ह. बीछा तहसील लालसोट तस्दीकी दिनांक 03.02.1976 नायब तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

उपस्थिति :— 1. श्री हरिनारायण माठा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—:आदेश:— दिनांक 27 .02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि छोटिया पुत्र काना मीणा निवासी कुशलपुरा तहसील लालसोट की खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट में स्थित है जिसमें खातेदार छोटिया पुत्र काना के निधन के पश्चात नामान्तरकरण उसके दोनो नाबालिक पुत्रान कजोड, रामफूल पि. छोटिया के नाम गलत अवैध रूप से दिनांक 03.02.1976 को तस्दीक कर दिया गया है उसमें मृतक छोटिया की पत्नि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण नही खोला गया। जबकी मृतक की कानूनी वारिस अपीलान्ट ही थी। इस लिए उक्त नामान्तरकरण सं. 40 दिनांक 03.02.1976 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2012 नामान्तरकरण अपील

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 40 ग्राम कुशलपुरा को तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया। जबकी उस समय कजोड, रामफूल नाबालिक थे एंव अपीलान्ट से मृतक के वारिसान बाबत कोई पूछताछ नही कि गई एवं अपीलान्ट मृतक की पत्नि होने कारण उसकी हकीकी उत्तराधिकारी वारिस होने के बावजूद भी उसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक नही कर कानूनी प्रावधानो का उल्लघन किया गया है। मृतक की बेवा हाल ही मौजूद है परन्तु उसे नामान्तरकरण तस्दीक करते समय सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया एव नायब तहसीलदार लालसोट ने छोटिया मृतक के वारिसान की सही जांच न कर नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान पहली बार दिनांक 12.06.2012 को उसकी पुत्रवधु कैलाशी द्वारा जमीन विक्रय करने की सूचना देने पर हुआ। तब पटवारी हल्का से नकल प्राप्त कर दफा–5 का प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील पेश की गई। अतः विधि विरूद्ध तस्दीक किये गये उक्त नामान्तरकरण सं. 40 दिनांक 03.02.1976 वाकै ग्राम कुशलपुरा निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम 1/3 के हिस्से का नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आर आर डी 1994 पेज 606, आर आर डी 1994 पेज 77, आर आर डी 1992 पेज 239, आर आर डी 1995 पेज 576, आर आर डी 1992 पेज 17 पेश किया गया।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकण सं. 40 वाकै ग्राम कुशलपरा तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 03.02.1976 को नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील 35 वर्ष पश्चात पेश की गई है। विलम्ब का उचित कारण भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उद्धरणो का भी ससम्मान अवालोकन किया। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 40 दिनांक 03.02.1976 ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट मृतक खातेदार छोटिया पुत्र काना मीणा की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण नायब तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 40 दिनांक 03.02.1976 ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(सजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा